

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज०)

पीठासीन अधिकारी :- विनोद कुमार मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:- 15/अपील/2021

1. आशा आयु 21 वर्ष पुत्री छोटया जाति मीणा निवासी ग्राम बसोली हाल निवासी ग्राम मोतीपुरा पोस्ट अबड तहसील, हिण्डोली जिला, बून्दी (राज०)।

अपीलांत

बनाम

2. श्रीमती मांगी बाई आयु 60 वर्ष पत्नी स्वर्गीय श्री छोटूलाल जाति मीणा निवास सरस की आतरी, बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. मनोज आयु 24 वर्ष आ० श्री शोजीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डादून्दा हाल निवासी सरस की आतरी, बसोली हिण्डोली, तहसील हिण्डोली, जिला-बून्दी।
4. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, हिण्डोली, तहसील हिण्डोली, जिला-बून्दी।
5. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, हिण्डोली जिला बून्दी।

रेस्पोजेन्टस

अपील विरुद्ध नामान्तरण संख्या 1485 दिनांक 05.01.2021

ग्राम बसोली, तहसील हिण्डोली जिला-बून्दी

अपील अंतर्गत धारा :- 75 (1) (डी) भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :- 27/06/2024

निर्णय

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या-1315 रकबा 2.0500 है०, खसरा संख्या 2277/1220 रकबा 2.000 है०, खसरा संख्या 2220/1315 रकबा 4.1400 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 1.4487 है० वाके ग्राम बसोली पटवार मण्डल बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान में स्थित हैं, जो जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 4 में अपीलान्त आशा पुत्री छोटया का 1/2 हिस्सा व रेस्पोजेन्ट मांगीबाई का 1/2 हिस्सा खातेदार दर्ज था। नामान्तरण संख्या 1485 दिनांक 05.01.2021 द्वारा खसरा संख्या 1315, 2217/1220 एवं 2220/1315 कुल 1.4487 है० में से 1/2 हिस्से का नामान्तरण रेस्पोजेन्ट क्रम-2 मनोज कुमार के पक्ष में ग्राम पंचायत बसोली द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस नामान्तरण से अपीलान्त व्यथित पक्षकार हैं और निम्नांकित अपील प्रस्तुत करती है :- अपीलाधीन नामान्तरण वस्तु स्थिति एवं विधान प्रक्रिया के सर्वघा विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के मूल खातेदार पूर्वज अपीलान्त के पिता स्वर्गीय छोटया उर्फ छोटूलाल थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, अपीलान्त उनकी पुत्री हैं तथा रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 1 अपीलान्त की माता हैं। स्वर्गीय छोटया उर्फ छोटूलाल का अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उपरोक्त विवरण के अनुसार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलान्त एवं रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 1 का संयुक्त व



M.L. Nirnay/Apeal Nirnay Letter

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

मान सहखातेदारी अधिकार हैं, पक्षकारों में अभी तक कृषि भूमि का बटवारा नहीं हुआ है तथा संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्त समय-समय पर कृषि भूमि की फसल व्यवस्था आदि की देख-रेख करती हैं। रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 1 ने अपील विषयक कृषि भूमि पर अकेले अपना स्वत्व कायम करने तथा अपीलान्त का स्वत्व नष्ट करने की नीयत से अपीलान्त की ईच्छा के विरुद्ध अल्पआयु में रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 2 मनोज कुमार के साथ उसका विवाह कर दिया किन्तु अपीलान्त ने इस अवैध विवाह को मानने से इंकार कर दिया तथा बत्तोर पत्नी रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 2 मनोज कुमार के साथ कभी नहीं रही। अपीलान्त की आयु अभी मात्र 21 वर्ष हैं और वह शिक्षा प्राप्त कर रही है। रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 1 मांगीबाई ने अपीलान्त का विवाह रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 2 के साथ करने के लिए रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 2 के पिता से अवैध राशि प्राप्त की थी। जब अपीलान्त ने इस विवाह को मानने तथा रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 2 के साथ बत्तोर पत्नी रहने से इंकार कर दिया तो रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 2 ने रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 1 पर अपीलान्त के विवाह के समय दी गई राशि लौटाने का दबाव बनाया और इसी दबाव में रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 1 ने रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 2 के पक्ष में अपील विषयक कृषि भूमि में खातेदार के स्थान पर दर्ज उसके 1/2 हिस्से को अवैध एवं अनधिकृत रूप से दिनांक 03.12.2020 को दान कर दिया। रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 1 मांगी बाई स्वर्गीय छोटया उर्फ छोटूलाल की विधवा पत्नी हैं, पक्षकार मीणा जाति के हैं, जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती हैं। रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 1 को स्वीर्गीय छोटया उर्फ छोटूलाल द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से विक्रय दान आदि द्वारा हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं है। रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 2 मनोज कुमार अपीलान्त का पति नहीं हैं, अपीलान्त की अल्पआयु में रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 1 द्वारा रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 2 के साथ किये गये अपीलान्त के विवाह को अपीलान्त ने अस्वीकार कर दिया है, अर्थात् मानने से इंकार कर दिया है, इस प्रकार रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 1 की ओर से उपरोक्त वर्णित बक्षीशनामों में रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 2 को पुत्री का पति (दामाद) सम्बोधित किया जाकर कृषि भूमि बक्षीश करने का कोई औचित्य नहीं है। रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 1 मांगी बाई वृद्ध है और शारीरिक रूप से कमजोर हो गयी है। रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 2 ने रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 1 के साथ धोखा-धडी पूर्वक अनुचित विश्वास का दुरुपयोग करके अपील विषयक कृषि भूमि के बाबत बक्षीशनामों निष्पादित व पंजीकृत करवा लिए हैं, जो अपीलान्त के विरुद्ध शून्य, अवैध, अनधिकृत एवं प्रभावहीन हैं। राजस्व अभिलेख की जमाबंदी में रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 1 मांगी बाई का नाम खातेदार के स्थान पर दर्ज होने मात्र से वह कृषि भूमि की स्वामी नहीं हैं। इस प्रविष्टि मात्र से रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 1 को कृषि भूमि को दान, विक्रय आदि द्वारा हस्तान्तरित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 1 को केवल मात्र जीवन यापन का सीमित अधिकार ही कृषि भूमि पर प्राप्त है। रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 2 वाद विषयक कृषि भूमि का सहखातेदार नहीं हैं, वह एक अजनबी व्यक्ति हैं, जिसे उक्त बक्षीशनामों के आधार पर कृषि भूमि के किसी भी भाग पर जबरन कब्जा करने का अधिकार नहीं है, ऐसी स्थिति में अपीलान्त रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 2 के विरुद्ध कृषि भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं करने तथा बक्षीशनामों के आधार पर खोले गये नामान्तकरण से वाद ग्रस्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति के बैंक को रहन, बैचान एवं भारग्रस्त नहीं करने के लिए सिगिन आदेश प्राप्त करने की अधिकारी है। यदि रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 2 के विरुद्ध सिगिन आदेश जारी नहीं



उपखण्ड अधिकारी
हिंगडोली

किया गया तो अपीलान्त को भारी अपूर्णीय क्षति होगी। अपीलाधीन नामान्तकरण सर्वथा अवैध है एवं एक अवैध दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया गया है। इस दस्तावेज एवं नामान्तकरण से रेस्पोजेन्ट क्रम संख्या 2 को कोई वैधानिक स्वत्व प्राप्त नहीं होता है, अवैध नामान्तकरण को कभी भी चुनौति दी जा सकती है। अवैध दस्तावेज के आधार पर खोले गये नामान्तकरण को निरस्त करने का आदरणीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। अपीलान्त इस अवैध दस्तावेज की निष्पादक नहीं है और न ही उसे इसकी जानकारी दी गई है दिनांक 31.10.2021 को नकल जमाबंदी लेने पर प्रथम बार ज्ञात हुआ। जमाबंदी की प्रविष्टि देखने पर नामान्तकरण की नकल ऑनलाईन प्राप्त की। नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्त को न तो सुना गया है और न ही सूचना दी गई है। इस प्रकार नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। अपीलान्त की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है। अन्य तथ्य वक्त बहस न्यायालय की अनुमति से निवेदन किये जावेंगे। आदरणीय न्यायालय को अपील का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अपील निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1485 दिनांक 05.01.2021 ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी निरस्त किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता अपीलान्त को प्रदान की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जर्ज नोटिस तलब किया गया। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से एडवोकेट महेन्द्र जैन ने वकालतनामा पेश किया। वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस सुनी गई।

वकील अपीलांत ने दौराने बहस कथन किया कि मेरी माता ने उसके हिस्से की जमीन मेरे पति के नाम दान कर दी है उस दानपत्र से दर्ज नामान्तकरण की अपील हमारे द्वारा की गई है। उक्त भूमि के मूल खातेदार मेरे पिता छोट्या उर्फ छोटूलाल थे जिनकी मृत्यु उपरान्त मैं उनकी वारिस हूँ इसके अलावा अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अपीलांत का उक्त भूमि पर रेस्पोजेन्ट 1 के साथ सयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अपीलांत की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह कम उम्र में रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के साथ राशि प्राप्त कर किया था। अपीलांत ने उस विवाह को नहीं माना। इस प्रकार अपीलांत द्वारा उक्त शादी को नहीं मानने से रेस्पोजेन्ट संख्या 2 को दामाद सम्बोधित किया जाकर कृषि भूमि बक्शीश करने का कोई औचित्य नहीं है। रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ने रेस्पोजेन्ट संख्या 1 वृद्ध होने से रेस्पोजेन्ट 2 ने धोखाधड़ी पूर्वक बक्शीशनामा करवा लेने से उक्त बक्शीशनामा अपीलांत के विरुद्ध शून्य प्रभावी है। अपीलांत की माता को महिला होने से उक्त बक्शीश किए जाने के कोई अधिकार नहीं थे। अपीलांत विवादित भूमि में प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से उक्त नामान्तकरण को निरस्त करवाने की अधिकारी है। उक्त बक्शीशनामा हमारे उपर शून्य प्रभावी होने से उसको निरस्त कराने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलांत स्वीकार की जावे। अपने समर्थन में विनिर्णय 2024

(1) DNI (रेवन्यू) पेज नम्बर 24 से 98 व HINDU SUCCESSION ACT, 1956 Article no. 26, 27, 217, 218, 258, 267, 2007 RRD page No. 739, 1968 RRD page No. 485 DB, 1984 RRD page No. 851 (RAJ.HC) (DB) पेश किये है।

वकील अपीलांत के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए वकील रेस्पोजेन्ट ने कथन किया कि उक्त भूमि रेस्पोजेन्ट 1 ने रेस्पोजेन्ट 2 के नाम रजि0 बक्शीश किए जाने से उक्त




उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

नामान्तकरण दर्ज हुआ है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इनको उक्त रजि० बक्शीशनामें को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाना चाहिए था। रेस्प० 1 को विवादित भूमि बेचान करने का अधिकार था या नहीं ये इनको सक्षम न्यायालय से तय करवाना चाहिए था यहाँ रजि० बक्शीशनामें से नामान्तकरण दर्ज हुआ है, जो कि सही है। नामान्तकरण की प्रक्रिया फिस्कल कार्यवाही है, जिससे कोई अधिकार तय नहीं होते हैं। अगर ये अपने अधिकारों की घोषणा चाहते हैं तो सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करें। उक्त दर्ज किए गए नामान्तकरण में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांत खारिज की जावें। अपने समर्थन में विनिर्णय 2023 (1) DNJ(Rev) page No. 107, 2023 (2) DNJ(Rev) page No. 1413, 2023 (2) DNJ(Rev) page No. 1351, 1955 DNJ(Raj) page No. 38, 2022 (1) DNJ(Rev) page No. 676, RRT 2011 page No. 64 पेश किये हैं।

हमने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अपीलान्त की माता द्वारा अपीलांत के पति के पक्ष में किए गए दान पत्र की अनुपालना में दर्ज नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत की गई है। जहां तक ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण किये जाने की प्रक्रिया का प्रश्न है, राजस्व विभाग द्वारा कई परिपत्रों के माध्यम से ग्राम पंचायत को यह अधिकार दिये गये हैं। प्रकरण में विवादित नामान्तरण संख्या 1485 दिनांक 05.01.2021 जो कि ग्राम पंचायत बसोली द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरण रेस्पोजेन्ट संख्या 2 मनोज को पंजीकृत बक्शीशनामें से आई भूमि का दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरण तस्दीक किये जाने में ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अपीलांत की माँ को दानपत्र निस्पादित करने का अधिकार था या नहीं का निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अपीलांत वर्तमान में अपने पिता की 1/2 हिस्सा के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत नजीरे उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। उक्त नामान्तरण विधि अनुरूप है जिसे निरस्त किया जाना न्यायालय न्यायोचित नहीं समझता है।

अतः अपील अपीलांत अस्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1485 निर्णय दिनांक 05.01.2021 द्वारा तस्दीक ग्राम पंचायत बसोली यथावत रखा जाता है। अपील अपीलांत खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

